



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट- सी सं० - 1488 वर्ष 2026

रमाकान्त

..... याची(गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य तथा 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : शशांक कुमार, तेज प्रकाश यादव

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुधीर भारती

न्यायालय सं० 6

मा० प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. वर्तमान रिट याचिका को याची द्वारा अन्य बातों के साथ प्रत्यर्थी सं० 2 को निर्धारित अवधि में उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अधीन मामला सं० 1840/2025 कम्प्यूटरीकृत मामला सं० टी202505310101840 (ग्राम सभा बनाम राम जियावन) का विनिश्चय करने का निदेश देने के अनुरोध के साथ दाखिल किया गया है।
2. अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात, ऐसा प्रतीत होता है कि याची शिकायतकर्ता है, अतः न्यायालय की राय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत याची द्वारा दाखिल याचिका पोषणीय नहीं है।
3. इस समय पर, याची के अधिवक्ता द्वारा वर्तमान याचिका के नाट प्रेस होने के नाते खारिज करने का अनुरोध किया गया है।
4. अनुरोध को अनुज्ञात किया जाता है।
5. तदनुसार, रिट याचिका को नाट प्रेस होने के नाते खारिज किया गया है।

जनवरी, 29, 2026
न्यायमूर्ति)

(प्रकाश पाड़िया,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"